उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
दूरभाष न0– 0135–2662021, फैक्स न0– 0135–2662180
ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: http://uic.uk.in

File No - UIC-ROSR/2/2025-Soochna Aayog दिनांक 21 जुलाई , 2026

प्रेस विज्ञप्ति

हरिद्वार में आयोजित कांवड़ मेला–2026 के दौरान हरिद्वार, ऋषिकेश एवं देहरादून मार्ग पर यातायात का अत्यधिक दबाव तथा विभिन्न यातायात प्रतिबंध लागू रहने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए हरिद्वार की ओर से देहरादून आने वाले पक्षकारों को आवागमन में असुविधा हो सकती है।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में योजित द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई वर्तमान में हाइब्रिड माध्यम से भी संपादित की जा रही है। कांवड़ मेला–2026 के दृष्टिगत आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त अवधि में आयोग में योजित द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई यथासंभव निर्धारित तिथि पर हाइब्रिड माध्यम से संपादित की जाएगी। पक्षकार अपनी सुविधानुसार हाइब्रिड माध्यम से सुनवाई में सम्मिलित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

हाइब्रिड सुनवाई हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट **https://uic.uk.in** पद पर उपलब्ध है। अपीलकर्ताओं एवं उत्तरदाताओं की सुविधा के लिए वेबसाइट के होम पेज पर Important Announcements में आवश्यक दिशा–निर्देश उपलब्ध हैं। साथ ही, Hybrid Hearing Links में संबंधित पीठ के मोबाइल नंबर भी उपलब्ध हैं, जिन पर संपर्क कर आवश्यक तकनीकी सहायता प्राप्त की जा सकती है। हाइब्रिड से सुनवाई हेतु अपीलकर्ताओं एवं उत्तरदाताओं को सुनवाई की तिथि से 24 घण्टे पूर्व Hybrid Mode Selector में जाकर आवश्यक विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा।

यदि किसी वाद में किसी पक्षकार की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक हो अथवा कोई पक्षकार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ही सुनवाई कराना चाहता हो तथा कांवड़ मेला के कारण आवागमन में वास्तविक कठिनाई हो, तो वह आयोग को समय रहते अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे प्रकरणों में परिस्थितियों के अनुसार सुनवाई की तिथि कांवड़ मेला समाप्ति के उपरांत निर्धारित किए जाने पर विचार किया जाएगा।

आयोग ने सभी पक्षकारों से अनुरोध किया है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचते हुए यथासंभव हाइब्रिड माध्यम का उपयोग करें तथा सुनवाई से संबंधित किसी भी जानकारी अथवा सहायता के लिए आयोग के कार्यालय से संपर्क करें।

Digitally signed by
RAZA ABBAS
Date: 21-07-2026
11:50:16

(रज़ा अब्बास)
सचिव

File No - UIC-ROSR/2/2025-Soochna Aayog दिनांक 21 जुलाई , 2026

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को जनहित में आगामी दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्य सूचना आयुक्त को मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदया के अवलोकनार्थ।
3. समस्त निजी सचिव, मा0 राज्य सूचना आयुक्त को मा0 राज्य सूचना आयुक्तगण के अवलोकनार्थ।

(रज़ा अब्बास)
सचिव